

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण एवं राहत राशि वितरण**

| क्र० | जिला    | वर्ग      | गत माह के लंबित प्रकरण | चालू माह के प्राप्त प्रकरण | योग       | राहत हेतु पात्र प्रकरण | स्वीकृत प्रकरण | स्वीकृत राशि (लाखों में) | वितरित राशि (लाखों में) | लंबित प्रकरणों की |                    |            |
|------|---------|-----------|------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------|
|      |         |           |                        |                            |           |                        |                |                          |                         | कलेक्टर स्तर पर   | पुलिस अधीक्षक स्तर | अन्य विवरण |
| 1    | 2       | 3         | 4                      | 5                          | 6         | 7                      | 8              | 9                        | 9                       | 10                | 11                 |            |
| 1    | बालाघाट | अनु०जा०   | 1                      | 18                         | 19        | 18                     | 18             | 292000                   | 13 / 108250             | —                 | —                  | —          |
| 2    | बालाघाट | अनु०ज०जा० | 4                      | 21                         | 25        | 23                     | 23             | 604750                   | 21 / 596000             | —                 | —                  | —          |
|      |         | योग       | <b>5</b>               | <b>39</b>                  | <b>44</b> | <b>41</b>              | <b>41</b>      | <b>8,96,750</b>          | <b>34 / 704250</b>      | —                 | —                  | —          |

टीपः—अनुसूचित जाति की 01 एवं जनजाति 02 कुल 03 प्रकरण 3(1)11 के प्रकरण में (मेडिकल नही होने से) पात्रता नही होने से निरस्त । तथा अनु० जाति के 5 प्रकरण में रू० 1,83,750/—की स्वीकृत राशि आबंटन के अभाव में वितरण की कार्यवाही नही हुई है । अतः अनु जा० मद में रू० 2.50 लाख पचास हजार रू० की आवश्यकता है । अनुजनजाति के 2 प्रकरण में रू० 8750/— हजार रू० आहरण की कार्यवाही की जा रही है ।

**सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास बालाघाट**

